



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927

No. 44]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2005

सं. 310-3(1)/2003-इको.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(बी)(i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :— (i) इस आदेश का नाम "दूरसंचार टैरिफ (पैतीसवां संशोधन) आदेश, 2005" (2005 का 2) कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 के खण्ड 3 में 'अनुसूची 1 से' शब्द तथा अंक के बाद नं. 'IX' के स्थान पर 'X' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. इस आदेश में अनुलग्नक के रूप में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार,

एम. कन्नन, सलाहकार (आर्थिक)

[विज्ञापन/III/IV/142/2004/असा.]

अनुलग्नक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

दूरसंचार टैरिफ आदेश (टीटीओ), 1999 में 9 अनुसूचियां निहित हैं (I से IX)। 9 मार्च, 1999 को अधिसूचित दूरसंचार टैरिफ आदेश की अनुसूची IV का शीर्षक "लीण्ड सर्किट" था। प्राधिकरण ने 11-03-2005 को टीटीओ, 1999 में चौतीसवां संशोधन जारी करते हुए मौजूदा अनुसूची IV को "घरेलू लीण्ड सर्किट" के रूप में पुनर्नामित किया है और अनुसूची X अर्थात् इन्टरनेशनल प्राइवेट लीण्ड सर्किट (आईपीएलसी)-(हॉफ सर्किट), इसमें जोड़ा है। वर्तमान संशोधन, टीटीओ के भाग III के अन्तर्गत खण्ड 3 में इसी के परिणामस्वरूप परिवर्तन करने की मंशा से जारी किया जा रहा है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2005

**No. 310-3(1)/2003-Eco.**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of Section 11 read with Section 11(1)(B)(i) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) hereby further amends the Telecommunication Tariff Order, 1999 as under, namely :—

**1. Short Title, Extent and Commencement :** (i) This Order shall be called “The Telecommunication Tariff (Thirty Fifth Amendment) Order, 2005” (2 of 2005).

(ii) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 3 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 the number ‘X’ shall substitute the number ‘IX’ appearing after the words and number ‘Schedule I to’.

3. This Order contains at Annexure an Explanatory Memorandum, which explains the reasons for this amendment to the Telecommunication Tariff Order, 1999.

By Order,

M. KANNAN, Advisor (Economic)

[ADVT./III/IV/142/2004/Exty.]

**ANNEXURE****EXPLANATORY MEMORANDUM**

The Telecommunication Tariff Order (TTO) 1999 contains nine Schedules (I to IX). The title of Schedule IV of Telecommunication Tariff Order notified on 9 March, 1999 was “Leased Circuits”. The Authority by issuing the Thirty Fourth Amendment to TTO 1999 on 11-3-2005 has renamed the existing Schedule IV as “Domestic Leased Circuits” and added Schedule X, i.e. INTERNATIONAL PRIVATE LEASED CIRCUIT (IPLC)-(Half Circuit). The present amendment intends to make consequential change in clause 3 under Section III of TTO.